न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 118/2017 **दायर दिनांकः 24/07/2017**

उनवान

1. रामचन्दर आयु 58 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति सुनार निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2. रामगोपाल आयु 57 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति सुनार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. रामस्वरूप आयु 55 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति सुनार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. रामभरोस आयु 50 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति सुनार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. रामरतन आयु 48 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति सुनार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. सुनीता आयु 45 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नि सत्यनारायण जी जाति सुनार निवासी मोठपुर तहसील अटरू हाल मुकाम प्रेमनगर कोटा जिला कोटा।
7. जानकीबाई आयु 75 वर्ष पत्नि मोहनलाल जाति सुनार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
8. लाड आयु 32 वर्ष पुत्री जगदीश
9. मोहनी आयु 30 वर्ष पुत्री जगदीश
10. लोकेश आयु 28 वर्ष पुत्र जगदीश
11. रवि आयु 26 वर्ष पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासीगण मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0
12. भारतभूषण आयु 56 वर्ष पुत्र कजोडमल जाति महाजन निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजेश आयु 32 वर्ष पुत्र परमानन्द
2. भोजराज आयु 30 वर्ष पुत्र परमानन्द

3. कृष्णा आयु 29 वर्ष पुत्र परमानन्द
4. पवन आयु 25 वर्ष पुत्र परमानन्द
5. लोकेश आयु 24 वर्ष पुत्र परमानन्द
6. चन्द्रकला पत्नी परमानन्द जाति धाकड़ निवासीगण केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. चन्दा आयु 62 वर्ष पुत्र रामलाल
8. जगदीश आयु 65 वर्ष पुत्र रामलाल
9. परमानन्द आयु 45 वर्ष पुत्र धन्ना
10. हरिचरण आयु 40 वर्ष पुत्र धन्ना
11. खेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र धन्ना जाति धाकड निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
12. सीताबाई आयु 38 वर्ष पुत्री धन्ना
13. बिरधीबाई आयु 70 वर्ष पत्नी धन्ना जाति धाकड़ निवासी केरवालिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
14. महेन्द्रकुमार आयु वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0एक्ट</u>

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री आर0 पी0 गोयल।

आदेश दिनाक : 16/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 1739 रकबा 0.73है0 मौजा मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0 में वाके है जो मुताबिक जमाबन्दी संख्या 432 सम्वत् 2069–72 से वादी संख्या 12 के खातेदारी में दर्ज जमाबन्दी है। आराजी ख0नं0 1733 रकबा 1.300 है0 खसरा नं0 1734 रकबा 0.1300 है0 व खसरा नं0 1736 रकबा 0.5700 है0 मौजा मोठपुर तहसील अटरू में वाके है जो मुताबिक जमाबन्दी संख्या 527 सम्वत् 2069 ता 72 से वादी संख्या 1 ता 7 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज

जमाबन्दी है। आराजी ख0नं0 1739/2711 रकबा 0.3200 है0 मौजा मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0 में वाके है जो मुताबिक जमाबन्दी संख्या 211 सम्वत् 2069 ता 72 से जगदीश का स्वर्गवास हो गया है उसके वारिसान उसके वारिसान उसके पुत्र पुत्रियॉ वादी संख्या 8 ता 11 है। वादीगणों का अपने खाते की आराजीयात पर आने जाने हलकुली बैलगाडरी ट्रक–ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों को लाने ले जाने का रास्ता मोठपुर केरवालिया मैन रोड से खसरा नं0 1737 व 1738 में होकर जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया है में होकर सदियों से बना हुआ है जिसका उपयोग वादीगण सदैव से ही करते चले आ रहे है। आराजी ख0नं0 1737 वाके मोठपुर के खातेदार प्रतिवादी संख्या 7 ता 13 है तथा आराजी ख0नं0 1738 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 14 महेन्द्र कुमार है। प्रतिवादीगण अब वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से वर्णित रास्ते के उपयोग में बाधा पैदा करने लगे है प्रतिवादीगण यह कहते है कि वे वादीगण को उक्त रास्ते का उपयोग नही करने देगे। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से वर्णित रास्ता पीढियों से इसी कदर बना हुआ है तथा वादीगण के पास सिवाय उक्त रास्ते के अन्य रास्ता भी उपलब्ध नही है और प्रतिवादीगण कोउक्त विवादित रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का भी कोई अधिकार नही है। लेकिन प्रतिवादीगण नही मान रहे है तथा वादीगण के उक्त रास्ते के उपयोग में बाधा पैदा कर रहे है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग मे बाधा पैदा की तो वादीगण अपने खेतों को काश्त ही नही कर सकेंगे तथा वादीगण अपनी आराजीयात के उपयोग उपभोग से महरूम हो जायेंगें। प्रतिवादीगण ने पूर्व में भी उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न की तब वादीगण ने ग्राम पंचायत मोठपुर में भी एक कार्यवाही प्रस्तुत की थी जिस पर ग्राम पंचायत मोठपुर ने मौका मुआयना पूर्ण कोरम के साथ किया तथा आदेश पारित किया था कि उक्त रास्ते के वादीगण के उपयोग में प्रतिवादीगण बाधा उत्पन्न नही करेंगे। वादीगण का पीढीयों पुराना रास्ता होने ग्राम पंचायत मोठपुर द्वारा आदेश पारित किये जाने के बाबजूद भी प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त रास्ते के उपयोग में बाधा उत्पन्न करने लग गये है लिहाजा वादीगण के लिये प्रस्तुत वाद लाना नितान्त आवश्यक हो गया है। मौका पर रास्ता का अस्तित्व है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे रास्ते का अंकन नही हो रहा है इसी का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण रास्ते के उपयोग में बाधा पैदा करने लगे है। रास्ते में प्रतिवादी पक्ष की कोई भूमि नही है फिर भी यदि बाद माप के रास्ता हेतु प्रतिवादी पक्ष की कोई भूमि निकलेभी तो वादीगण माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार समुचित राशि डी एल सी रेट के मुजब जमा कराने को तत्पर है। वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादी पक्ष द्वारा उक्त रास्ते में व्यवधान

उत्पन्न करने पर वादी पक्ष द्वारा ग्राम पंचायत मोठपुर द्वारा रास्ता के बाबत् समुचित आदेश कर क्रियान्वन करा देने के बाबजूद भी दिनांक 28.05.2017 को प्रतिवादी पक्ष द्वारा उक्त रास्ते के उपयोग में दखल अंदाजी पैदा करने तथा रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करने तथा वादीगण के अनुनय विनय के बावजूद न मानने पर माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार की सीमाओं मे उत्पन्न हुआ लिहाजा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है। वाद का मुल्यांकन निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। विवादित रास्ता तथा वाद कारण मौजा मोठपुर में रास्ते को लेकर उत्पन्न हुआ लिहाजा उक्त वाद का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। विवादित आराजी व रास्ते के भूमिधारी स्टेट ऑफ राजस्थान होने से जर्ये तहसीलदार अटरू के उन्हें पक्षकार बनाया गया है। वाद दो प्रतियों में पेश है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। घोषित किया जावें कि केरवालिया, मोठपुर आम रोड से वादीगण के खाते की आराजी ख0नं0 1739, 1733, 1734, 1736 व 1739/2711 वाके मोठपुर में ख0नं0 1737 व 1738 के मध्य मे होकर जिसको वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया है में होकर आने जाने हलकुली, गाडीबैल ट्रक–ट्रेक्टर व कृषि उपकरणों को लाने ले जाने मे प्रतिवादीगण उक्त रास्ता जो पूरी लम्बाई तथा 12 फुट चौडाई में है। विकल्प में उपरोक्त प्रार्थना को ऑच न आवे यदि उक्त 12 फुट चौडे रास्ते जो खसरा नम्बर 1737 व 1738 के मध्य में यदि निकले भी तो उसका माप किया जाकर प्रतिवादीगण खातेदारान को वादीगण से डीएलसी रेट के मुजब हर्जा दिलवाया जाने बाबत् आज्ञा फरमाने की कृपा करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें तथा वादीगण के रास्ते के उपयोग में बाधा पैदा न करने बाबत् पाबन्द किया जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई, अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई प्रतिवादी क्रम 15 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट चाही गई जिसमें कथन किया गया कि ग्राम मोठपुर के आराजी ख0नं0 1737, 1738 का मौका देखा गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम मोठपुर ख0नं0 1737 रकबा 2.68 है0 चन्दा जगदीश पुत्र रामलाल 1/2 वगै0 जाति धाकड़ निवासी केरवालिया के शामलाती खाते दर्ज है। तथा ख0नं0 1738 रकबा 1.03 है0 भूमि महेन्द्र कुमार ना.बा. पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ ना.बा. वली पिता स्वयं निवासी मोठपुर के खाते दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मोठपुर नक्शा लट्ठा ख0नं0 1739, 1733, 1734, 1736, 1739/2711 की भूमि पर जाने के लिए ख0नं0 1737 व 1738 के मध्य कोई रास्ता दर्ज नही है।

तथा ख0नं0 1737 व 1738 के मध्य वर्तमान में मौके पर भी कोई रास्ता नही है। यदि ख0नं0 1737 व 1738 के मध्य से रास्ता दिया जाये तो दौनो खसरे के बीच की लम्बाई लगभग 84 मीटर है। अतः 84×4 = 336 वर्ग मीटर यानि लगभग 0.03 है0 भूमि आती है।

अभिभाषक वादीगण/प्रार्थीगण की बहस सुनी अभिभाषक वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि मोठपुर के ख0नं0 1737 व 1738 के मध्य में होकर आने जाने का रास्ता 12 फुट चोडाई में है। जो बंद कर दिया है। पूर्व में वादीगण के पूर्वज वादीगण आते जाते थे। विकल्प में 12 फुट रास्ता ख0नं0 1737 व 1738 के मध्य दिया जावें जिसकी D.L.C. दर जमा कराने हेतु वादीगण सहमत है।

तहसीलदार अटरू द्वारा मौका रिपोर्ट में ख0नं0 1737 व 1738 के मध्य कोई रास्ता दर्ज नही होने का कथन किया गया है। ग्राम मोठपुर की ख0नं0 1737 रकबा 2.68 है0 चन्दा, जगदीश पुत्र रामलाल 1/2 वगै0 निवासी केरवालिया के शामलाती खाते में दर्ज होना तथा ख0नं0 1738 रकबा 1.03 है0 भूमि महेन्द्र कुमार ना.बा. पुत्र मोहन लाल धाकड़ ना.बा. वली पिता स्वयं निवासी मोठपुर के खाते दर्ज है। वादीगण को अपने खाते की आराजी ग्राम मोठपुर की ख0नं0 1739, 1733, 1734, 1736 व 1739/2711 पर जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से न्यायहित में रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण/प्रार्थीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण/प्रार्थीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण/प्रार्थीगण की ग्राम मोठपुर की आराजी ख0नं0 1739, 1733, 1734, 1736 व 1739/2711 पर जाने हेतु ग्राम मोठपुर की ख0नं0 1737, 1738 के मध्य 84 मीटर 84×4 = 336 वर्ग मीटर यानि लगभग 0.03 है0 भूमि में से दिये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू वादीगण/प्रार्थीगण से D.L.C. से रेट का दुगना वसूल कर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को हिस्सानुसार भुगतान कर रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.02.05 16:35:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: